Title : Jammu and Kashmir appropriation Bill, 2023.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> ?कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> ?कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> ?कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

*m05 **श्री पंकज चौधरी** : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

*m06 **माननीय सभापति** : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

____